

प्रतिनिधित्व/प्रतिनिधित्व/स्वानांतरण द्वारा भली की बहा में बंधनियों धर्म विभागीय प्रतिनिधित्व समिति है जो उसकी प्रती करने में कि (प्रतिनिधित्व) में नर लोक जिनसे प्रतिनिधित्व/स्वानांतरण किया जाएगा संरचना सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

12

13

14

प्रतिनिधित्व पर स्वानांतरण: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :

नागू नहीं होता

नागू नहीं होता

(i) जो नियमित आधार पर सशुभ पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने 1400-2600 घ. के वेतनमान में कनिष्ठ अनुवाचक (हिन्दी) के पद पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

(प्रतिनिधित्व की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में उस नियमित से ठीक पहले धारित किसी अन्य काब्र-बाह्य पद पर प्रतिनिधित्व की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1

2

3

4

5

6

7

8

9

* 2. सहायक

* 5 (1992) साधारण केन्द्रीय कार्यभार के आधार सेवा, समूह "ग", पर परिवर्तन किया जा सकता है। (भराजपत्रित) अनुसचिबीय

1400-40-1600-50-2300-घ. रो.- 60-2600 घ.

नागू नहीं होता

नहीं

नागू नहीं होता

नागू नहीं होता

नागू नहीं होता

10

11

12

13

14

नागू नहीं होता

प्रतिनिधित्व पर स्वानांतरण द्वारा।

प्रतिनिधित्व पर स्वानांतरण: केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :-

नागू नहीं होता

नागू नहीं होता

(i) जो नियमित आधार पर सशुभ पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च श्रेणी लिपिक की श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की है।

(प्रतिनिधित्व की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियमित से ठीक पहले धारित किसी अन्य काब्र-बाह्य पद पर प्रतिनिधित्व की अवधि है। साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. आधुनिक श्रेणी "ग"

* 2 (1992) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (भराजपत्रित) अनुसचिबीय

1400-40-1600-50-2300-घ. रो.- 60-2600 घ.

नागू नहीं होता

नागू नहीं होता

नागू नहीं होता

नागू नहीं होता

नागू नहीं होता

नागू नहीं होता

11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(i) जो नियमित आधार पर सद्यः पद धारण किए हुए हैं; या		
	(ii) जिन्होंने 1200—2040 इ. के वेतनमान में प्रागुत्पिक के रूप में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जो अंग्रेजी या हिन्दी भाषा लिपि में 100 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हैं।		
	(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले पारित किसी अन्य काङ्ग्रेड-वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी।		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. प्रागुत्पिक क्षेत्र "घ"	* 1 (1992) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अनुसूचितीय	1200-30-1580- इ.रो.-40- 2040 इ.	लागू नहीं होता	नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(i) जो नियमित आधार पर सद्यः पद धारण किए हुए हैं; या		
	(ii) जिन्होंने निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है और जो अंग्रेजी या हिन्दी भाषा लिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति रखते हैं।		
	(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले पारित किसी अन्य काङ्ग्रेड-वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी।)		

1	2	3	4	5	6	7
5. निम्न श्रेणी लिपिक	* 10 (1992)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" (अराजपत्रित) अनुसूचितीय	950-10-1150-इ. इ.रो. 25-1500 इ.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।					

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होता

11	12	13	14
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण :-- केन्द्रीय सरकार को ऐसे अधिकारों :-- जो नियमित आधार पर शपथ पत्र धारण किए हुए हैं। हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट का गति यंत्रों की प्रचलनता हो जाएगी। (प्रतिनियुक्ति की शपथ, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उगी या किंग्स; ग्रन्थ संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काररवादाय पत्र पर प्रतिनियुक्ति की शपथ है साधारणतया : : वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	लागू नहीं होगा	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
स्टाफ कार वाइवर	* 1 (1992) कार्यभार के सभू "ग" (अराज-बाधार पर पतिन) अनुसन्धिकीय परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रिय सेवा, सभू "ग" (अराज-पतिन) अनुसन्धिकीय	950-20-1150 ट. रो. 25-1500 ट	अचयन	नहीं	18 से 25 वर्ष (केन्द्रिय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारों सेवकों के लिए निर्धारित करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण 1 :-- शायु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अध्यापितों से प्राबन्धन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि बहु अंतिम तारीख जो अमम, मेघालय, धरणाबल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरु-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के गढ़ौन और स्वाभि जिले तथा अम्बाला के पानी उखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लडाखीय के अध्यापितों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से जा जाने वाले शर्तों का हवा में, शायु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख बहु अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से हवा जेमत के लिए कहा गया है।

	9	10
<p>प्रायश्चित्तक :</p> <ol style="list-style-type: none"> सरकार द्वारा माय्या प्रायश्चित्त संस्था से छाठवीं स्तर या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। उसके पास मोटर कार के लिए विद्यमान भालन अनुशासन हो। मोटर वाहन क्रिया का ज्ञान हो। प्रथम मोटर चल में छोटे चोप दूर करने के योग्य हो। उस मोटर चल चलाने का काम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो। <p>बोझनीय : होन मार्ग/सांख्यिक गुरुता सिद्धि सेवक के रूप में 3 वर्ष सेवा का हो।</p> <p>टिप्पण 1.--अर्हताएं प्रथम मुपहित प्रथमियों की दशा में प्रथम प्राधिकार के विवेकानुसार सिद्धि को जा सकती है।</p> <p>टिप्पण 2.--अनुभव संबंधी अर्हता/अर्हताएं प्रथम प्राधिकार के विवेकानुसार अनुचित स्थितियों और अनुचित जन जातियों के प्रथमियों की दशा में तत्र सिद्धि को जा सकती है। जब जयन के क्रिया प्रक्रम पर प्रथम प्राधिकारों की यह राय है कि उनके लिए अर्हता रिक्तियों को भरने के लिए प्रेषित अनुभव रक्षा वाले उा सुदायों के प्रथमियों के पदांत संका में उपलब्ध होने का संभावना नहीं है।</p>	<p>प्रायु : नहीं</p> <p>वैशिक अनुभव : हां</p>	<p>दो वर्ष</p>

	11	12
<p>प्रोन्नति द्वारा जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानापारण द्वारा और दोहों के न हो नपने पर सौदा भर्ती द्वारा</p>	<p>प्रोन्नति : संसदीय राजभाषा समिति के ऐसे समूह "ब" कर्मचारियों में से जिनमें कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तर 3 में विहित अर्हताएं हैं।</p> <p>टिप्पण : यदि ऐसे कर्मचारों के संबंध में जिनके प्रेषित वर्षों का सेवा पूरा कर जा है विचार किया जाता है तो उनके उपर से प्रेषित कर्मचारों के संबंध में और विचार किया जाएगा जिनके परिक्रमा प्रवृत्ति पूरा कर जा है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर स्थानापारण - केन्द्रगत सरकार के कार्यालयों/विभागों के ऐसे कर्मचारों जो नियमित आधार पर मद्रास पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तर 3 में विहित अर्हताएं हैं।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति का अर्थ, जिनके अन्तर्गत केन्द्रगत सरकार के उमा या किमी अरु संका/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किमी अरु कातर वाद्य पर पर प्रतिनियुक्ति का अर्थ है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)</p>	

	13	14
<p>प्रोन्नति/पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति जो नियमित/अस्थायी से मिलकर बनेगी</p> <ol style="list-style-type: none"> अध्यक्ष, संसदीय राजभाषा समिति - अध्यक्ष प्रवर सचिव (प्रका.) - अध्यक्ष अवर सचिव (अनुसंधान) - अध्यक्ष प्रवर सचिव (राजभाषा विभाग) - अध्यक्ष 		<p>नायू नहीं होगा</p>

1	2	3	4	5	6	7
7. कनिष्ठ ग्रेडेटेडर प्रायश्चित्तक	1 (1992)	साधारण कर्मी सेवा, समूह "ब" (अराज-पहित) अनुसंधान	800-15-1010-3, रो. 20-1150 व.	अवधन	नहीं	नायू नहीं होता

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

11-भाग 3
 निसि भाग

8	9	10
लागू नहीं होता	नहीं	नहीं

11	12
----	----

प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा

प्रोन्नति : ऐसा दातरो जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसे गैस्टेटनर मगीन के प्रमाणों और अनुसंधान का ज्ञान हो ।

टिप्पणी : यदि ऐसे कनिष्ठ कर्मचारों के संबंध में शिरो प्रतीकियों को सेवा पूरी करनी है विचार किया जाता है तो उससे संबंध ऐसे कर्मचारी के संबंध में विचार किया जाएगा जिसने परिबीक्षा अवधि पूरी कर ली है ।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/विभागों के ऐसे कर्मचारी जो नियमित आधार पर तदुक्त पर धारण किए हुए हैं, और जिन्हें गैस्टेटनर मगीन के प्रमाणों और अनुसंधान का ज्ञान है ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उस/या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर बाह्य/पत्र पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13	14
----	----

समूह "ब" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी ।

1. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति -- अध्यक्ष
2. सचिव (प्रशा.) -- सदस्य
3. सचिव (अनुसंधान) -- सदस्य
4. सचिव (राजभाषा विभाग) -- सदस्य

लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
8. बन्तरी	2* (1892)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ब" (प्रराज-पत्रित) अनुसंधीय	775-12-955-प.रो. 14-1025 प.	सचयन	नहीं	लागू नहीं होता
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।						

8	9	10
लागू नहीं होता	नहीं	नहीं

11

12

प्रोन्नति द्वारा, जिसके म हों सन्तान पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के द्वारा

प्रोन्नति : ऐसे कर्माधीन जिन्होंने उस श्रेणी में 2 वर्ष नियमित सेवा की है ।

टिप्पणी : यदि ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में प्रस्तावित वर्षों की सेवा पूरी कर ली है विचार किया जाता है तो उन्हे ज्येष्ठ ऐसे कर्मचारियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिसने परिवर्तित अवधि पूरी कर ली है ।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/विभागों के ऐसे कर्मचारी जो नियमित आधार पर सतत पर धारण किए हुए हैं ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उच्च या किसी अन्य संगठन/विभाग में हुए नियुक्ति से उक्त उच्च धारित कर्मियों अन्य काइर-टाइप पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साथ रखतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी) ।

13

14

समूह "ब" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जो निम्न-

जाय नहीं होता

लिखित से मिलकर बनेगी :

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. सचिव, संसदीय राजभाषा समिति - | अध्यक्ष |
| 2. अवर सचिव (प्रशा.) | सदस्य |
| 3. अवर सचिव (अनुसंधान) | सदस्य |
| 4. अवर सचिव (राजभाषा विभाग) | सदस्य |

1	2	3	4	5	6	7
9. कर्माधीन	3 rd (1992)	साधारण के द्वारा सेवा, 750-12-870-र. रो. जाय नहीं होता समूह 'ब' (कराज- पक्षित अनुसंधानिकीय	14-940 र.		नहीं	18 से 25 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों तथा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए अधिष्ठित करके 40 वर्ष तक की जा सकती है । टिप्पणी 1: आयु-संज्ञा प्रव धारित करने के लिए निर्धारित एक तारीख भारत में अध्यापकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी म कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ज़िपुरा, सिक्किम, पश्चिम-बंगाल राज्य के लडाख खंड, हिमाचल प्रदेश के माहील बोर स्थिति जिसे तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड, संबन्धान और निकोबार द्वीप या लखनौप के अध्यापकों के लिए विहित की गई है । टिप्पणी 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्तियों का बसा में आयु-संज्ञा प्रवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।]

*कार्यधार के आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है ।

8	9	10
<p>आवश्यक :- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य</p> <p>बोर्डनेय : होमगार्ड/तापकिर मुद्रा स्वयं सेवक के रूप में 3 वर्ष की सेवा और ट्रेम गार्ड/तापकिर भुक्षा के कम से कम 50 नियायतों में पुनर्स्थापना पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण।</p>	नहीं	संबंधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
11	12	13
<p>प्रतिनियुक्ति पर स्वामन्त्रण द्वारा जिसके न हो सकने पर सार्वो भर्ती द्वारा।</p>	<p>प्रतिनियुक्ति पर स्वामन्त्रण : कोटेशन सरकार के कार्यालयों में सहायक पदों पर नियमित आधार पर सेवारत ऐसे कर्मचारियों जिनके पास स्लॉट 8 में बिंदु प्रहृतता है।</p> <p>नियुक्ति के पर्यन्त होम गार्ड में प्रशिक्षण बाध्यकर होगा सिवाय ऐसे व्यक्तियों के मागले में जो ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अनुविद्यार्थन है।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत कोटेशन सरकार के उच्च या किसी अन्य मंडल/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काठर बाध्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	
13	14	15
<p>पुष्टि के लिए माह "ब" विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अवर सचिव (प्रशा.) 2. अनुभाग अधिकारी (प्रशा.) 3. अनुसंधान अधिकारी 4. अवर सचिव (राजाशाखा विभाग) 	<p>अध्यक्ष सदस्य सदस्य सदस्य</p>	नहीं होगी
1	2	3
<p>10 चौकीदार * 2 (1992)</p> <p>नाघारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ब" (अराजक पक्षित) अनुसचिबीय</p> <p>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>	<p>750-12-870-द. रो. 14-940 इ.</p>	<p>नियु नहीं होता नियु नहीं होता</p> <p>18 से 25 वर्ष : (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सिविल करके 40 वर्ष तक सिविल की जा सकती है।</p> <p>टिप्पणी 1 : प्राय-जोना अर्ध धारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अर्थवर्षों से आदेशन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि बहु अंतिम तारीख जो अरुण, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, गोवा, जम्मू-काश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा कश्मीर के पानी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अर्थवर्षों के विहित की गई है।</p>

7

टिप्पणी 2 : रोजगार कार्या-
लयों के माध्यम से की जाने
वाली भर्ती की दशा में,
घाटू-सीमा परव्यतिरिक्त करने
के लिए निर्णायक तारीख
वह अंतिम तारीख होगी
जिस तक रोजगार कार्यालयों
से नाम ब्रेकने के लिए कहा
गया है।

8

9

10

आवश्यक :- सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से 5 वां
स्तर उत्तीर्ण या समतुल्य
वांछनीय : होमसाई/सिविल स्वयं सेवक के रूप में 3 वर्ष की
सेवा और कम से कम बुनियादी तथा पुनर्रचना कार्यक्रम
में प्रशिक्षण।

नहीं

सोचे नहीं किए जाने वाले व्यक्तियों के
लिए 2 वर्ष।

टिप्पण 1 -घाटूताएं अथवा सुघाटित अभ्यर्थियों की दशा में
सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार निमित्त की जा सकती
है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधित घाटूता/घाटूताएं। सक्षम प्राधिकारी
के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-
जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब निमित्त की जा
सकती है (है) जब ध्यान के दिशा प्रक्रम पर सक्षम
प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों
को भरने के लिए उपयुक्त अनुभव रखने वाले उन समु-
दायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की
संभावना नहीं है।

11

12

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण द्वारा, जिसके न हो सकने पर सोची भर्ती
द्वारा।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण : केन्द्रीय सरकार के कार्या-
लयों/विभागों के ऐसे कर्मचारी जो नियमित आधार पर सक्षम
पर धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तर 8 में चिह्नित घाटू-
ताएं हैं।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी
या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले
धारित किसी अन्य काष्ठ-बाह्य पर प्रतिनियुक्ति की अवधि
है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13

14

युष्टि के लिए समूह "ब" विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से
गठित होगी :-

नागू नहीं होता

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. प्रवर सचिव (प्रजा.) | अध्यक्ष |
| 2. अनुभव प्राधिकारी (प्रजा.) | सदस्य |
| 3. अनुसंधान प्राधिकारी | सदस्य |
| 4. प्रवर सचिव (राजाशाहा) | सदस्य |

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. शाब्कता सह करण	* 2(1992) कार्यभार के अन्तर्गत परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ब" अराजपक्षित अनुसूचीय	750-12-870-ब.रो.-14-940 5.	नागू नहीं होता	नहीं	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या धादेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है। टिप्पणी:—प्रायुसीमा प्रवर्धित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में प्रवर्धनों से प्रावधान प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख बंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पोति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, धर्मशाल और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के प्रवर्धनों के लिए विहित की गई है। टिप्पणी 2 :—रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, प्रायु-सीमा प्रवर्धित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	अर्हताएं सरकार द्वारा माय्या प्राप्त किसी संस्था से 5वां स्तर या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण	नहीं
10	11	12	13	14				
वीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के कार्यालय/विभागों के ऐसे कर्मचारी जो नियमित आधार पर तदुक्त पर धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्लैब 8 में विहित अर्हताएं हैं (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इन नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कारर माह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह "ब" विभागीय प्रोन्नति समिति (ग्रुप के निरन्तर नियुक्ति के लिए) पर बनेंगे। 1. अवर सचिव (प्रशा.)—प्रवर्धन 2. अनुभाग अधिकारी (प्रशा.)—सदस्य 3. अनुसंधान अधिकारी—सदस्य 4. अवर सचिव (राजभाषा विभाग)—सदस्य	नागू नहीं होता।				

(नं. धार्. 20012/4/91 समिति -6) सचिव राम अंतरा, अवर सचिव

(Committee of Parliament on Official Language)
New Delhi, the 18th December, 1992
G.S.R. 568.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C'

and 'D' posts in the Committee of Parliament on Official Language, Ministry of Home Affairs, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Committee of Parliament on Official Language (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1992.

1-अध्याय 3 (i)
They sh
I publicat
2. Num
y.—Th
on and
pecific
to th

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

2. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

4. Disqualification.—No person :—

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Posts	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
1. Senior translator (Hindi)	*2 (1992) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service/ Group 'C' (Non-Gazetted), Ministerial.	Rs. 1640-60-2300-EB-75-290)	Not applicable	No	Not applicable.
Educational and other qualifications required for direct recruits.		Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.		Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	
8		9		10	11	
Not applicable		Not applicable		Not applicable	By transfer on deputation	
In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.				If a departmental Promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Unjoint Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
12		13		14		
Transfer on deputation: Officers of the Central Government— (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 5 years' regular service in the post of Junior Translator (Hindi) in the scale of Rs. 1400-2600 (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).		Not applicable.		Not applicable.		

1-1993 (i)
8
Not applicable
Transfer on
Officers of
(i) hol
(ii)

1994 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 19, 1992 /AGRAHAYANA 28, 1914 [PART II—SEC. 3(i)]

1	2	3	4	5	6	7
2. Assistant	5* (1992) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600	Not applicable	No	Not applicable
8	9		10		11	
Not applicable	Not applicable		Not applicable		By transfer on deputation	
12	13		14			
Transfer on deputation: Officers of the Central Government— (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) Upper Division Clerks of the Central Secretariat Clerical service with 5 years regular service in the grade. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).				Not applicable		Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
3. Stenographer Grade 'C'	2*(1992) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted), Ministerial)	Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600	Not applicable	No	Not applicable
8	9		10		11	
Not applicable	Not applicable		Not applicable		By transfer on deputation	
12	13		14			
Transfer on deputation: Officers of the Central Government— (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) Stenographers in the pay scale of Rs. 1200-2040 with five years regular service and having a speed of 100 words per minute in English or Hindi Stenography. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).				Not applicable.		Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
4. Stenographer, Grade 'D'	4*(1992) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) Ministerial	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040	Not applicable	No	Not applicable

8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation
12	13	14	
Transfer on deputation Officers of the Central Government :— (i) holding analogous posts on regular basis; OR (ii) Lower Division Clerks who have two years' regular service in the grade and have speed of 80 words per minute in English or Hindi Stenography. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.	Not applicable	Not applicable	

1	2	3	4
5. Lower Division Clerk	10* (1992) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted Ministerial)	Rs. 953-20-1150-EB-25-1500
5	6	7	
Not applicable	No	Not applicable	

8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation
12	13	14	
Transfer on deputation : Officers of the Central Government : Holding analogous posts on regular basis. Preference shall be given to those having a speed of 25 words per minute in Hindi typewriting and 30 words per minute in English typewriting. (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

1	2	3	4
Staff Car Driver	1* (1992) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted) Non-Ministerial.	Rs. 953-20-150-EB-25-1500
5	6	7	
Non-selection	No		18 to 25 years (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 1. —The crucial date for determining the age limit shall be the closing date

for receipt of applications from candidates in India.

(and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep)

Note 2.—In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

8	9	10	11
<p>Essential :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eight standard pass or equivalent examination from a Government recognised institution. 2. Should possess a valid driving licence for motor cars. 3. Knowledge of motor mechanism The candidate should be able to remove minor defects in the motor vehicles. 4. Should possess atleast three years experience in driving motor vehicles. 	<p>Age: No Educational qualifications -- Yes.</p>	<p>2 years</p>	<p>By promotion failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.</p>
<p>Desirable :</p> <p>3 years service as a Home Guard/ Civil Volunteer.</p> <p>Note 1—Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2—The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them</p>			
12	13	14	
<p>Promotion : From amongst Group 'D' employees of the Committee of Parliament on Official Language who have rendered atleast 5 years regular service and who possess qualifications mentioned in column 8.</p> <p>Note.—A senior employee who has completed the probation period will also be considered if the junior employee who has completed the</p>	<p>Group 'D' DPC for promotion/confirmation or consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary of the Committee of Parliament on Official Language— Chairman. 2. Under Secretary (Admin.)— Member. 3. Under Secretary (Research)—Member. 4. Under Secretary (Department of Official Language)— Member. 	<p>Not applicable</p>	

8	9	10	11
Not applicable	No	No	By promotion falling which transfer on deputation.
12		13	14
<p>Promotion : Peon with 2 years regular service in the grade. Note. — A senior employee who has completed the probation period will also be considered where the junior employee who has completed the requisite number of years of service is being considered. Transfer on deputation : Employees holding analogous post on regular basis in the Central Government Offices/departments. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceeding 3 years).</p>	Group 'D' DPC (for promotion) consisting of .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secretary Committee of Parliament on Official language - Chairman. 2. Under Secretary (Admin.)—Member. 3. Under Secretary (Research)—Member. 4. Under Secretary (Department of official Language) - Member. 	Not applicable
1	2	3	4
9. Peon	8*(1992) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted Ministerial)	Ra. 750-12-870-EB-14-940
5	6	7	
Not applicable	No	18 to 25 years (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).	
		<p>Note 1.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District & Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, the Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2.—In the case of recruitment made through the employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p>	
8	9	10	11
Essential : Eighth Standard Pass or equivalent from a Government recognised Institution. Desirable : 3 years service as Home Guard/Civil Defence volunteers and training in at least basic and refresher course in Home Guard & Civil Defence.	No	20 years for direct recruits	By transfer on deputation falling which by direct recruitment.

12		13			14	
<p>Transfer on deputation/transfer : Employees holding analogous posts on regular basis in the Central Government Offices/department possessing qualifications specified in column 8. (The period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/office shall ordinarily not exceed 3 years).</p>		<p>Group 'D' DPC for confirmation consisting of : 1. Under Secretary (Admn.)_ Chairman. 2. Section Officer (Admn.)_ Member. 3. Research Officer_ Member. 4. Under Secretary (department of Official language)_ Member.</p>			<p>Not applicable.</p>	
1	2	3	4	5	6	7
11. Sweeper-Cum-Frasher	2*(1992) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group D, (Non-Gazetted) Non-Ministrial.	Rs. 750-12-870-EB-14-14-940	Not applicable.	No	18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, The Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2: In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
8	9	10	11			
Qualifications: 5th standard pass or equivalent examination from a Government recognised institution	No	2 years for direct recruits.	By transfer on deputation/transfer failing which by direct recruitment.			
12	13			14		
<p>Transfer on deputation: Employees holding analogous posts on regular basis in the Central Government offices/departments and possessing qualifications specified in column 8. (The period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).</p>	<p>Group 'D' departmental promotion committee (for confirmation) consisting of: 1. Secretary Committee of Parliament on Official Language_ Chairman. 2. Under Secretary (Admn.)_ Member. 3. Under Secretary (Research)_ Member. 4. Under Secretary (Department of Official Language)_ Member.</p>			<p>Not applicable.</p>		

12

requisite number of years service is being considered.

Transfer on deputation: Employees holding analogous posts on regular basis in the Central Government office/department and possessing qualifications specified in column 8 (The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre posts held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years).

1	2	3	4
7. Junior Gestetner operator	1*(1992) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted) Non-Ministerial.	Rs. 800-15-1010-EB-70-1150
5	6	7	
Non-selection	No	Not applicable.	
8	9	10	11
Not applicable	No	No	By promotion failing which by transfer on deputation.

12	13	14
Promotion: Daftry with two years regular service in the grade and having knowledge in operating and maintaining Gestetner machine. Note.—A senior employee who has completed the probation period will also be considered where the Junior employee who has completed the requisite number of years of service is being considered. Transfer on deputation: Employee holding analogous posts on regular basis in the Central Government department/Offices and having knowledge in operating and maintaining gestetner machine. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceeding 3 years).	Group 'D' DPC (for promotion) consisting of: 1. Secretary committee of Parliament on Official Language— Chairman. 2. Under Secretary (Admn.)— Member. 3. Under Secretary (Research)— Member. 4. Under Secretary (Department of official Language)— Member.	Not applicable.

1	2	3	4
8. Daftry	2*(1992) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'D' (Non-Gazetted) Ministerial.	Rs. 775-12-955-EB-14-1025
5	6	7	
Non Selection	No	Not applicable.	

12	13	14
Transfer on deputation : Employees servicing in analogous posts on regular basis in the Central Government offices and possessing qualifications specified in column 8. After training in home guard will be obligatory, same in the case those who are physically handicapped to undergo such training. (The period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department/office of the Central Government shall ordinarily not exceed three years).	Group 'D' BPC for confirmation consisting of : 1. Under secretary (Admn.) — Chairman 2. Section Officer (Admn.) — Member. 3. Research Officer — Member. 4. Under Secretary (Department of Official Language) — Member.	Not applicable.

1	2	3	4
10. Chowkhar	2* (1992) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' (Non-Gazetted Non-Ministerial).	Rs. 750-2-870-EB-4940

5	6	7
Not applicable	No	18 to 25 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu & Kashmir State, Jharkhand and Spiti district and Pang sub-division of Chamba district Himachal Pradesh, the Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2:—In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

8	9	10	11
Essential : A pass in 5th Standard or equivalent from Government recognised institution. Desirable : 3 years service as a Home Guard/Civil Volunteer and training in at least basic and refresher course. Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of competent authority. Note 2. The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	No	2 years for direct recruits	By transfer on deputation/transfer failing which by direct recruitment



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 41]
No. 41]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 8, 1994/अश्विन 16, 1916
NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 8, 1994/ASVINA 16, 1916

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

भारत सरकार के मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (यंत्र राज्य और प्रशासकों को छोड़कर)
द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए गए और जारी किये गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के
आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general
Character) issued by the Ministries of the Government of India (other
than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other
than the Administration of Union Territories)

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1994

सा.का.नि. 497.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद, 318 के खंड
(क) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मंत्रालय राजभाषा सेवा (समूह "न"
पद) नियम, 1981 का और संशोधन करने के विद्ये निम्नलिखित
नियम बनाते हैं, अर्थात् —

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मंत्रालय राजभाषा
सेवा (समूह "न" पद) दूसरा संशोधन नियम, 1994 है।
- (2) ये नियम में प्रकाश की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय मंत्रालय राजभाषा सेवा (समूह "न" पद) नियम,
1981 की "अनुसूची 2 में धारा गीमा से संबंधित सब न. (ii)
से "जुलाई के प्रथम दिन" शब्दों के स्थान पर "अस्त के प्रथम दिन"
शब्द रखे जायेंगे।

[स. 1/1/94-रा.भा. (न. 1)]
एम.डी. कबटिया, सचिव मंत्र

टिप्पण — नूतन दिना सं. का.नि. न. 812, तारीख 19-9-81
द्वारा प्रकाशित किये गये थे। तत्पश्चात् उनका सा.का.
नि. सं. 93, तारीख 23-1-1983, सा.का.नि.
सं. 129, तारीख 12-2-1983, सा.का.नि.
सं. 325, तारीख 23-4-1983, सा.का.नि. सं.
1108, तारीख 17-10-1984, सा.का.नि. सं. 158,
तारीख 1-3-1985, सा.का.नि. सं. 232, तारीख
21-4-1990, सा.का.नि. सं. 641, तारीख 20-10-90
सा.का.नि. सं. 401, तारीख 14-8-1993, और
सा.का.नि. सं. 423, तारीख 29-8-1994 द्वारा संशोधन
किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Official Language)
New Delhi, the 15th September, 1994

G.S.R. 497.—In exercise of the powers conferred by
the proviso to article 309, read with clause (b) of article
318 of the Constitution, the President hereby makes the
following rules further to amend the Central Secretariat
Official Language Service (Group 'C' Posts) Rules, 1981,
namely:—

- (1) These rules may be called the Central Secretariat
Official Language Service (Group 'C' Posts) Second
Amendment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Official Language Service (Group 'C' Posts) Rules, 1981, —

"in Schedule II, in item (ii) of the Note relating to age limit, for figure and words '1st day of July', the words '1st day of August' shall be substituted."

[No. 11194-OL(S)]

S. D. KABTIYAI, Under Secy.

NOTE.—The principal rules were published vide G.S.R. No. 842 dated 19-9-1981 subsequently amended vide G.S.R. Nos. 93 dated 29-1-1983, 129 dated 12-2-1983, 325 dated 23-4-1983, 1108 dated 27-10-1984, 156 dated 1-3-1986, 232 dated 21-4-1990, 641 dated 20-10-1990, 401 dated 14-8-1993 and 423 dated 20-8-1994.

(संघीय रात्रभाषा समिति)

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1994

मा.का.नि. 498.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परम्पूक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय संसदीय रात्रभाषा समिति (समूह "ब" और समूह "घ" पर) धर्ती नियम, 1982 का संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, धर्थात्:—

1. (1) इन दिनों का मन्त्रालय गृह मंत्रालय, संघीय रात्रभाषा समिति (समूह "ब" और समूह "घ" पर) धर्ती (संशोधन) नियम, 1994 है।

(2) ये रात्रपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. गृह मंत्रालय, संघीय रात्रभाषा समिति (समूह "ब" और समूह "घ" पर) धर्ती नियम, 1992 को अनुसूची में, गहायक के पर संशोधन क्रम संख्या 2 के मामले तम 12 में "प्रतिनिधित्व पर स्थानान्तरण" उपशोधक के मोटे पर (ii) और उन्को संशोधन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा:—

"(ii) बिन्दु 1200-2040 रु. या समतन्त्र वेतनमान या पर पर पांच वर्ष निगमित सेवा की है और जिनके पास स्थायन सेवा तथा हिन्दों के टिप्पण/प्राकपण का कम से कम शब्द का अनुभव है।"

[का. सं. आई-20012/4/91-समिति-6]

प्रम सागर, धरर मन्त्र (प्रजा.)

पार टिप्पण: मूल नियम भारत के रात्रपत्र में मा.का.नि. 568 तारीख 19 सितम्बर, 1982 का प्रकाशन किये गये थे।

(Committee of Parliament on Official Language)

New Delhi, the 16th September, 1994

G.S.R. 498.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Home Affairs, Committee of Parliament on Official Language (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1982, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Committee of Parliament on Official Language (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Home Affairs, Committee of Parliament on Official Language (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1982 against serial number 2 relating to the post of Assistant, in column 12, under sub-heading 'Transfer on deputation', for item (ii) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

"(ii) With five years' regular service in post in the scale of Rs. 1200-2040 or equivalent and having a minimum of two years experience in Establishment/Accounts and Noting/Drafting in Hindi."

[File No. I-20012/4/91-Committee-6]
PREM SAGAR, Under Secy. (Admn.)

Foot Note:—The principal rules were published in the Gazette of India number GSR 568 dated the 19th December, 1992.

कार्मिक, लोक सिकायत तथा पंजन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

मा.का.नि. 499.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परम्पूक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय निवृत्त सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं धर्ती) नियमावली, 1965 में और धर्ती संशोधन के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, धर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को केन्द्रीय निवृत्त सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं धर्ती) संशोधन नियमावली, 1994 कहा जायेगा।

(2) ये सरकारी रात्रपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय निवृत्त सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं धर्ती) नियमावली, 1965 की अनुसूची में भाग III में क्रम संख्या 1 तथा 1-क के मामले कालम 4, 5 तथा 6 में मद (घ) तथा उमरे संशोधन प्रविष्टियाँ विधोपित की जायेंगी।

[संख्या 11012/12/90-स्वा. (क)]

हृष्य वेनर, उप मन्त्र

टिप्पणी:—

मुख्य नियम भारत के रात्रपत्र में दिनांक 20-11-1965 की अधिसूचना संख्या 7/2/63-स्वा. (क) द्वारा प्रकाशित किये गये तथा बाद में भारत के रात्रपत्र के भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में निम्न संख्या एवं तारीख के तहत अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किये गये:—

1966--ए.ओ.	1149,	दिनांक	13-4-66
ए.ओ.	1596,	दिनांक	4-8-66
ए.ओ.	2007,	दिनांक	9-7-68
ए.ओ.	2648,	दिनांक	2-9-68
ए.ओ.	2854,	दिनांक	1-10-68

1967--ए.ओ.	1282,	दिनांक	15-4-67
ए.ओ.	1457,	दिनांक	28-4-67
ए.ओ.	3253,	दिनांक	16-9-67
ए.ओ.	3530,	दिनांक	7-10-67
ए.ओ.	4151,	दिनांक	25-11-67